

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936 No. 643] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 863(अ).-- केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) 'खाता' से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला जाता है;
 - (ख) 'अधिनियम' से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
 - (ग) 'जमा' से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खाते में जमाकर्ता द्वारा जमा की जाती है;
 - (घ) 'जमाकर्ता' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अवयस्क बालिका जिसका या जिसकी वह संरक्षक है, की ओर से इन नियमों के अधीन खोले गए खाते में रकम जमा करता है;
 - (ङ) 'डाकघर' से भारत में स्थित ऐसा डाकघर अभिप्रेत है, जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है और इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है;
 - (च) 'बैंक' से किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है;
 - (छ) 'वर्ष' से वित्त वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च अभिप्रेत है;
 - (ज) 'ब्याज दर' से ऐसी दर अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खोले गए खातों में जमा रकमों पर लागू किए जाने के लिए वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा घोषित की जा सकेगी; और
 - (झ) इनमें प्रयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: वही अभिप्राय होगा, जो उन नियमों में उनका अभिप्राय है।

4757 GI/2014 (1)

- 3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का प्रवर्तन.- डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के उपबंध उन मामलों, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में लागू किए जा सकेंगे।
- 4. खाते का खोला जाना.- (1) खाता नैसर्गिक या विधिक संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उसके जन्म लेने से दस वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकेगा और कोई बालिका, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने के एक वर्ष पहले दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, भी इन नियमों के अधीन खाता खोले जाने के लिए पात्र होगी।
 - (2) जमाकर्ता इन नियमों के अधीन बालिका के नाम से केवल एक खाता खोल और चला सकेगा।
 - (3) जिस बालिका के नाम से खाता खोला जाता है, उसका जन्म प्रमाणपत्र संरक्षक द्वारा डाकघर या बैंक में खाता खोलने के समय, जमाकर्ता की पहचान और आवासीय प्रमाण से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (4) बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षक को केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमित दी जाएगी: परंतु बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षक को, दूसरे जन्म के रूप में जुड़वां बालिकाओं के जन्म अथवा यदि पहले बच्चे के जन्म के समय एक साथ तीन बालिकाओं के जन्म की स्थिति में, सक्षम चिकित्सा प्राधिकरणों, जहां ऐसी जुड़वां/तीन बालिकाओं का एक साथ जन्म हुआ है, से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, तीसरा खाता खोलने की अनुमित दी जाएगी।
- 5. जमा रकम.- (1) यह खाता एक हजार रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकेगा और तत्पश्चात, उसमें एक सौ रुपए के गुणक में कोई रकम इस शर्त पर जमा की जा सकेगी कि वित्त वर्ष में एक हजार रुपए की न्यूनतम रकम जमा की जाएगी, परंतु एक बार में अथवा गुणक अवसरों पर खाते में जमा की गई कुल धनराशि एक वित्त वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपयों से अधिक नहीं होगी।
 - (2) खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से चौदह वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकेगी।
 - (3) किसी अनियमित खाते, जिसमें उप-नियम-(1) में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है, को चूक के वर्ष (वर्षों) के लिए उक्त न्यूनतम निर्दिष्ट अभिदान सहित पचास रुपए प्रतिवर्ष के जुर्माने का संदाय करके, खाते के चौदह वर्ष पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित कराया जा सकेगा।
- 6. जमा की विधि.- (1) इन नियमों के अधीन खोले गए खाते में रकम -
 - (क) नकद; अथवा
 - (ख) संबंधित डाकघर के डाकपाल या संबंधित बैंक के प्रबंधक, जहां खाता खुला है, के नाम से चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और ऐसी लिखत के पीछे जमाकर्ता द्वारा खाता-धारक का नाम और खाता संख्या जिसमें रकम जमा की जाएगी, की पृष्टि की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे-

जमा की जा सकेगी।

- (2) जहां जमा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, वहां चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के नकदीकरण की तारीख खाते में जमा करने की तारीख होगी।
- 7. जमा रकम पर ब्याज.- (1) सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर पर ब्याज, वार्षिक रूप से संगणित करके, खाते के चौदह वर्ष पूर्ण होने तक, खाते में जमा किया जाएगा।
 - (2) यदि खाता-धारक मासिक आधार पर ब्याज संगणित करने का विकल्प देता है, तो उसे खाते में पूर्ण हजार रुपयों पर जमा शेष राशि पर परिकलित किया जाएगा और धारक के खाते में संदाय किया जाएगा और हजार से कम शेष रकम पर वर्तमान दर पर ब्याज मिलता रहेगा।
- 8. **खाते का खोला जाना.-** (1) खाता, जिस बालिका के नाम से खोला गया है, उस बालिका के दस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षक द्वारा खोला और संचालित किया जाएगा।
 - (2) दस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, खाता-धारक अर्थात् बालिका स्वयं खाता संचालित कर सकेगी, तथापि, खाते में रकम संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जमा की जा सकेगी।
- 9. समय से पूर्व खाता बंद करना.- (1) खाता-धारक की मृत्यु की दशा में, खाते को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तुरंत बंद कर दिया जाएगा, और खाते में जमा रकम, खाते के समय से पूर्व बंद करने के पूर्व महीने तक ब्याज सहित खाता-धारक के संरक्षक को संदाय की जाएगी।
 - (2) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि खाते के संचालन या चलाए जाने से खाता-धारक को अत्यधिक कठिनाई हो रही है, तो वह, कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, खतरनाक रोगों की चिकित्सा में

[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

सहायता, मृत्यु जैसे अत्यंत अनुकंपा आधार वाले मामलों में ही खाते को समय से पूर्व बंद करने की अनुमति दे सकेगी।

- **10. पासबुक.-** (1) खाता खोलने पर, जमाकर्ता को एक पासबुक दी जाएगी, जिसमें बालिका की जन्म-तारीख, खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या, खाता-धारक का नाम व पता और जमा की गई धनराशि का उल्लेख होगा।
 - (2) पासबुक, खाते में रकम जमा करते और ब्याज का संदाय प्राप्त करते समय और परिपक्वता पर खाते को अंतिम रूप से बंद करने के समय भी, यथास्थिति डाकघर या बैंक में प्रस्तुत की जाएगी।
- 11. खाते का अंतरण.- खाते को भारतवर्ष में कहीं भी अंतरित किया जा सकेगा, यदि जिस बालिका के नाम से खाता है, वह बालिका किसी ऐसे स्थान या जगह पर चली जाती है, जो उस स्थान, जहां खाता है, से भिन्न है, तो वहां अंतरित हो जाएगा।
- 12. आहरण.- (1) उच्चतर शिक्षा और विवाह के उद्देश्यों के लिए खाता-धारक की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति पर, खाते में जमा राशि के पचास प्रतिशत तक की राशि निकालने की अनुमित दी जाएगी; और
 - (2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आहरणों की अनुमित केवल तभी दी जाएगी, जब खाता-धारक बालिका ने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- 13. परिपक्वता पर खाता बंद करना.- (1) खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूर्ण होने पर, खाता परिपक्व होगा:

परंतु जहां खाता-धारक का विवाह, इक्कीस वर्ष की ऐसी अवधि पूर्ण होने के पहले, होता है, तो उसके विवाह की तारीख के पश्चात, खाते को चलाने की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि जहां खाता पहले परंतुक के अधीन बंद किया जाता है, वहां खाता-धारक को इस आशय का हलफनामा देना होगा कि खाता बंद करने की तारीख को वह अट्ठारह वर्ष से कम नहीं है।

- (2) परिपक्वता पर, खाते में बकाया जमा राशि और ब्याज, खाता-धारक को पासबुक के साथ आहरण-पर्ची प्रस्तुत करने पर संदेय होगा।
- (3) उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार, यदि खाता बंद नहीं किया जाता है, तो नियम 7 के उपबंधों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप से बंद किए जाने तक खाते में जमा रकम पर ब्याज संदेय होगा।
- **14. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के लागू होने से खाता-धारक या खाता-धारकों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है, तो वह, कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, उस उपबंध की शर्तों को, ऐसी विधि से, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, शिथिल कर सकेगी।

[फा.सं.2/3/2014.एनएस-II] डा. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

G.S.R.863(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.
- **2. Definitions** .- In these rules, unless the context otherwise require, -
 - (a) 'account' means an account opened by a depositor in accordance with the provisions of these rules;
 - (b) 'Act' means the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873);
 - (c) 'deposit' means the money deposited by the depositor in an account under the rules;
 - (d) 'Depositor' means an individual who on behalf of a minor girl child of whom he or she is the guardian, deposits money in an account under the rules;

- (e) 'post office' means any post office in India doing savings bank work and authorised to open an account under these rules;
- (f) 'Bank' means any branch of a commercial bank authorised by the Central Government to open an account under these rules;
- (g) 'Year' means financial year i.e. 1st April to 31st March;
- (h) 'Interest rate' means the rate as may be declared by the Government on yearly basis to be applicable on accounts opened under these rules;
- (i) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.
- 3. Application of Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981.-

The provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981 may be applied in relation to matters for which no provision has been made in these rules.

- 4. **Opening of Account.-** (1) The account may be opened by the natural or legal guardian in the name of a girl child from the birth of the girl child till she attains the age of ten years and any girl child, who had attained the age of ten years, one year prior to the commencement of these rules, shall also be eligible for opening of the account under these rules.
- (2) A depositor may open and operate only one account in the name of a girl child under these rules.
- (3) Birth certificate of a girl child in whose name the account is opened shall be submitted by the guardian at the time of opening of the account in post office or bank along with other documents relating to identity and residence proof of the depositor.
- (4) Natural or legal guardian of a girl child shall be allowed to open the account for two girl children only:

Provided that the natural or legal guardian of the girl child shall be allowed to open third account in the event of birth of twin girls as second birth or if the first birth itself results into three girl children, on production of a certificate to this effect from the competent medical authorities where the birth of such twin or triple girl children takes place.

- 5. **Deposits** .- (1) The account may be opened with an initial deposit of one thousand rupees and thereafter any amount in multiple of one hundred rupees may be deposited subject to the condition that a minimum of one thousand rupees shall be deposited in a financial year but the total money deposited in an account on a single occasion or on multiple occasions shall not exceed one lakh fifty thousand rupees in a financial year.
- (2) Deposits in an account may be made till completion of fourteen years, from the date of opening of the account.
- (3) An irregular account where minimum amount as specified in sub-rule (1) has not been deposited may be regularised on payment of a penalty of fifty rupees per year along with the said minimum specified subscription for the year (s) of default any time till the account completes fourteen years.
- 6. **Mode of Deposit** .- (1) The deposit in the account opened under these rules may be made
 - a) in cash; or
 - b) by cheque or demand draft drawn in favour of the postmaster of the concerned post office or the Manager of the concerned bank where the account stands and an endorsement on the back of such

- instrument shall be made and signed by the depositor indicating name of the account holder and account number in which the deposit is to be credited.
- (2) Where deposit is made by cheque or demand draft, the date of encashment of the cheque or demand draft shall be the date of credit to the account.
- **7. Interest on deposit** .- (1) Interest at the rate, to be notified by the Government, compounded yearly shall be credited to the account till the account completes fourteen years.
 - (2) In case of account holder opting for monthly interest, the same shall be calculated on the balance in the account on completed thousands, in the balance which shall be paid to the account holder and the remaining amount in fraction of thousand will continue to earn interest at the prevailing rate.
- **8. Operation of account .-** (1) The account shall be opened and operated by the natural or legal guardian of a girl child till the girl child in whose name the account has been opened, attains the age of ten years.
 - (2) On attaining age of ten years, the account holder that is the girl child may herself operate the account, however, deposit in the account may be made by the guardian or any other person or authority.
- 9. Premature closure of account .- (1) In the event of death of the account holder, the account shall be closed immediately on production of death certificate issued by the competent authority, and the balance at the credit of the account shall be paid along with interest till the month preceding the month of premature closure of the account, to the guardian of the account holder.
- (2) Where the Central Government is satisfied that operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, allow pre-mature closure of the account only in cases of extreme compassionate grounds such as medical support in lifethreatening diseases, death, etc.
- **10. Pass book** .- (1) On opening an account, the depositor shall be given a pass book bearing the date of birth of the girl child, date of opening of account, account number, name and address of the account holder and the amount deposited.
- (2) The pass book shall be presented to the post office or bank, as the case may be, at the time of depositing money in the account and receiving payment of interest and also at the time of final closure of the account on maturity.
- 11. Transfer of account .- The account may be transferred anywhere in India if the girl child in whose name the account stands shifts to a place other than the city or locality where the account stands.
- **12. Withdrawal** .- (1) To meet the financial requirements of the account holder for the purpose of higher education and marriage, withdrawal up to fifty per cent. of the balance at the credit, at the end of preceding financial year shall be allowed.
- (2) The withdrawal referred to in sub-rule (1) shall be allowed only when the account holder girl child attains the age of eighteen years.
- **13.** Closure on maturity .- (1) The account shall mature on completion of twenty-one years from the date of opening of the account :

Provided that where the marriage of the account holder takes place before completion of such period of twenty-one years, the operation of the account shall not be permitted beyond the date of her marriage:

Provided further that where the account is closed under the first proviso, the account holder shall have to give an affidavit to the effect that she is not less than eighteen years of age as on the date of closing of account.

- (2) On maturity, the balance including interest outstanding in the account shall be payable to the account holder on production of withdrawal slip along with the pass book.
- (3) If the account is not closed in accordance with the provisions of sub-rule (1), interest as per the provisions of rule 7 shall be payable on the balance in the account till final closure of the account.
- **14. Power to relax**. Where the Central Government is satisfied that the operation of any provision of these rules causes undue hardship to the account holder or account holders, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No.2/3/2014.NS-II]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.